शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011
दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रं./राशिके/आरटीई/2020/2177 भोपाल, दिनांक 30-5-2020

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले
मध्यप्रदेश

विषयः—शैक्षणिक सत्र 2020—21 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में ऑनलाइन निःशुल्क प्रवेश पूर्व कार्यवाही।

सन्दर्भः—1—म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग का पत्र कं/एफ—44—3/2019/20—2/418 भोपाल दिनांक 04.03.2020

2— राज्य शिक्षा केन्द्र का पत्र कं/राशिके/आरटीई/2020/1708 भोपाल दिनांक 06.03.2020

सर्न्दभित पत्र सरल कंमाक—2 दिनांक 06.03.2020 के माध्यम से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) के तहत ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सत्र 2020—21 की प्रारंभिक तैयारी हेतु समय सारणी जारी की गयी थी, COVID-19 से प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो जाने के कारण निम्नानुसार कार्य हेतु संशोधित समय सारणी निम्नानुसार जारी की जाती हैः—

कं.	गतिविधि	जिम्मेदारी	समयावधि
1	ऑनलाइन लॉटरी हेतु पात्र गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को इंपोर्ट करना	विकासखंड़ श्रोत समन्वयक	05 जून 2020 तक
2	स्कूल की ग्राम/वार्ड, पड़ोस एवं विस्तारित पड़ोस से मेपिंग	विकासखंड़ श्रोत समन्वयक	05 जून 2020 तक
3	गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूल जिनके द्वारा अभी तक आर.टी.ई के तहत निःशुल्क प्रवेश की एन्ट्री कक्षा (प्रथम प्रवेशित कक्षा) में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटे दर्ज नही की है उनके द्वारा आरक्षित सीटें दर्ज करना।	संबधित अशासकीय स्कूल लॉगिन से **www.rteportal.mp.gov.in** में।	07 जून 2020 तक
4	निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूल द्वारा दर्ज आरक्षित सीटों को बीआरसीसी द्वारा परीक्षण करना तथा स्कूल की प्रथम प्रवेशित कक्षा की 25 प्रतिशत सीटों को लॉक कर जिला परियोजना समन्वयक को फारवर्ड करना	विकासखंड़ श्रोत समन्वयक	12 जून 2020 तक
5	विकासखंड श्रोत समन्वयक द्वारा अग्रेषित की गयी आरक्षित सीटों को चेक कर जिला परियोजना	जिला परियोजना समन्वयक	15 जून 2020 तक

	समन्वयक द्वारा लॉक करना		
6	स्कूलवार कक्षावार आरक्षित सीटों तथा उनके पडोस तथा विस्तारित पड़ोस सहित पोर्टल पर अनंतिम रूप से प्रर्दशित किया जाना	**www.rteportal.mp.gov.in** पोर्टल पर	17 जून 2020
7	दावा आपत्ति एवं निराकरण	विकासखंड श्रोत समन्वयक एवं जिला परियोजना समन्वयक	25 जून 2020 तक
8	प्रायवेट स्कूल द्वारा फीस अधिसूचित किया जाना	संबधित अशासकीय स्कूल	20 जून 2020 तक

विकासखंड श्रोत समन्वयक तथा जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी है कि कोई भी स्कूल जो वर्तमान में बंद हो गया है वह ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित नही हो। यदि किसी स्कूल द्वारा **दिनांक 10 जून 2020** तक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र विकासखंड़ श्रोत समन्वयक को प्रस्तुत नही किया जाता है तो उसे गैर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था मानते हुये उसे इंपोर्ट कर ऑनलाइन लॉटरी प्रकिया में सम्मलित किया जाये। कृपया जिले में स्थित समस्त गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्रायवेट स्कूलों तथा संबधित जिम्मेदार अधिकारियों से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार समय–सीमा में उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें। यदि कोविड–19 के चलते लॉकडाउन के कारण इस कार्य में व्यवधान उत्पन्न हो तो पृथक से पत्र लिखकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते है।

(लोकेश कुमार जाटव)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

क्रं./राशिके/आरटीई/2020/2178 **भोपाल, दिनांक** 30-5-2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की और सूचनार्थ।
2. आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल म.प्र.।
3. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन भोपाल।
4. श्री सुनील जैन, वरिष्ठ तकनीकी निर्देशक, एन.आई.सी., विंध्याचल भवन भोपल।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत म.प्र.।
6. समस्त संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यलय म.प्र.।
7. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, समस्त जिले म.प्र.।
9. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, म.प्र. की ओर पालनार्थ।
10. समस्त विकासखंड़ श्रोत केन्द्र समन्वयक, म.प्र. की ओर पालनार्थ।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र